

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

सामग्री नम्बर 171 पेश हुए गरी थी कि नाम
दिनांक 24-1-17 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूरा आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक ~~7-3-17~~ को पेश हो

23/17
7-3-17

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूरा आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक ~~23-5-17~~ को पेश हो

23/17

इजाजती सौदे से न पत्रावली भ्रज पेश हुई।
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 18-7-17 को पेश हो

18-7-17

इजाजती सौदे से न पत्रावली भ्रज पेश हुई।
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 19-9-17 को पेश हो

19-9-17

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूरा आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक ~~19-12-17~~ को पेश हो

19/12

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप,
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूरा आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक ~~27-3-18~~ को पेश हो

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

27/3/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12.6.18
को पेश हो

24/08/18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/11/18 को पेश हो

05/11/18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/01/19 को पेश हो

29/01/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/04/19 को पेश हो

30/04/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/08/19 को पेश हो

06/08/19

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप.
अनुमति/पीठासीन अधिकारी
/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम
कार्यवाही हेतु दिनांक 02/12/19
को पेश हो

02/12/19

पत्रावली पेश हुई। उक्त में तार-तार साबाज
लगवाई गई। तबजूद साबाज लगवाने वकूलाग
उत्तरपक्ष अथवा पक्षालय में से कोई भी दफ्तर
मसलत नहीं मया। अतः उक्त अग्रिम दफ्तर
एवं अग्रिम पेशी में खरीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल अग्रे लोक नम्बर से लग हो तथा तब तब
दाखिल दफ्तर हो। निम्न उक्त न्यायलय में
सुनाया गया।